न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2020/00384
मिसल नम्बर–63/2020

दीपिका शर्मा पत्नि दुर्गेश जी जाति जांगिड़ा निवासी मकान नं0 3 आर 9 तलवंडी कोटा
प्रार्थी।

बनाम

1.विष्णुकान्ता व्यास पुत्री रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी मोती महाराज के मंदिर के सामने छावनी कोटा राज0 मृतक जरिये कायम मुकाम
1/1.प्रशान्त कुमार व्यास पुत्र रमेशचंद जाति ब्राहमण निवासी मोती महाराज के मंदिर के सामने छावनी कोटा राज0
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र)
दिनांक 25/06/25

उपस्थितिः–
1.श्री दयाराम सेन अधिवक्ता प्रार्थी ।
2.श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीनी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम हरिपुरा पटवारी हल्का भंवरिया तहसील लाडपुरा में आराजी ख0न0 66/330 की रकबा 0.11 है0 स्थित है। उक्त खेत के सहारे ही लगवा अप्रार्थीनी नं. 1 के खाते की आराजी ख0नं0 66 रकबा 1.64 है0 आराजी स्थित है। प्रार्थीनी की आराजी ख0नं0 66/330 पर आने जाने का तथा हल कुली टेक्टर आदि लाने ले जाने का कोई रास्ता नही है। मात्र एक विकल्प है कि प्रार्थीनी अपने खेत में अप्रार्थीनी की भूमि हिस्सा जो कि प्रार्थीनी के खाते की आराजी के सामने लगवा है पर से अपने खेत पर पहुँचे। प्रार्थीनी अप्रार्थीनी के खाते की आराजी ख0नं0 66 में से 30 फीट चौड़ा तथा करीब 300 वर्गफीट लम्बा नया रास्ता कायम करवाना चाहता है ताकि प्रार्थीनी सडक से अपने खेत पर आ जा सके अपने काश्तकारी के सामान आदि ला ले जा सके। प्रार्थीनी उक्त रास्ता की आराजी की स्थानीय डी0एल0सी0 रेट से सम्पूर्ण रकम जमा करवाने को तत्पर है। प्रार्थीनी उक्त आराजी जो प्रार्थीनी को रास्ते के रूप में प्राप्त होगी उसे मात्र रास्ते के रूप में कार्य मे लेगी तथा उसका अन्य किसी प्रकार का उपयोग नही करेगी। प्रार्थीनी को उसके खेत आने जाने का हल कुली ट्रेक्टर आदि लाने व ले जाने का रास्ता अवरूद्ध नही होने के कारण काफी कठिनाईयों का सामना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी को अप्रार्थीनी के खाते की आराजी ख0नं0 66 रकबा 1.64 है0 में प्रार्थीनी की खाते की आराजी ख0नं0 66/330 के लगवा उसके सामने वाली भूमि पर आने जाने के लिए मुख्य सड़क से प्रार्थीनी के खेत तक 300 फीट लम्बा तथा 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रकरण में दिनांक 16.05.2025 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया है कि ग्राम हरिपुरा ख0नं0 66 उम्मेदपुरा रावठा मुख्य सड़क के किनारे स्थित है। उक्त ख0नं0 प्रतिवादी विष्णुकान्ता व्यास पुत्री रामनिवास व्यास जाति ब्राहमण के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ख0नं0 66/330 रकबा 0.11 है0 वादी दीपिका शर्मा पत्नि दुर्गेश शर्मा जाति ब्राहमण के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी को कृषि कार्य हेतु रास्ते की आवश्यकता है। वादी ख0नं0 66 में से कृषि कार्य हेतु आता जाता है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ख0नं0 66 में से 92 मीटर लम्बा और 5 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी उक्त रास्ते की जमीन के बदले जमीन देने को भी तैयार है।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से बहस नही की गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बहस की गई कि तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा उभय पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि वादी को कृषि कार्य हेतु रास्ते की आवश्यकता है। वादी ख0नं0 66 में से कृषि कार्य हेतु आता जाता है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ख0नं0 66 में से 92 मीटर लम्बा और 5 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी उक्त रास्ते की जमीन के बदले जमीन देने को भी तैयार है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में रास्ते का आत्यान्तिक अभाव है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 66/330 तक कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु तहसील द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा अनुसार खसरा नं0 66 में से 92 मी0 लम्बा 4 मीटर चौड़ा मार्ग उपलब्ध कराया जावें।

तहसील द्वारा प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम रास्ते के क्षेत्र की गणना कर डीएलसी दर से दोगुनी राशि सम्बंधित खातेदारों को उपलब्ध करावें व तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते की तरमीम की जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/06/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
को